industry can be disclosed only after some time and Members have to wait for that.

AN HON. MEMBER: This is not a proper reply.

SHRI ARVIND NETAM: In the main reply it is also mentioned that concessions and benefits are given for the production of electronic components and for obtaining raw materials also. I want to know whether it is a fact that the basic directions and guidelines are not interpreted properly at all levels, and whether this has resulted in delay in the procurement of raw materials and is hampering the whole electronic industry. I have some information, that some integrated circuits are being exempted by some zonal excise authorities. I want to know, whether it is a fact that this excise duty is being levied by some other zonal authorities.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I do not think that different interpretations are made of the different rules, regulations and orders issued. But if different interpretations are being made of the orders, regulations and rules, and if something can be done to explain how a particular kind of interpretation has been made of the rules, that would will certainly be done.

Lathi Charge on the Blind in Delhi

*124. SWAMI INDERVESH:

SHRI RAJESH KUMAR SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Delhi Police made a lathi charge on the 1st January, 1981 on the blind who went to Prime Minister's House to present their memorandum of grievances;

(b) if so, the total number of persons injured as a result thereof;

(c) whether any inquiry was conducted into this incident; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do ndt arise.

स्वामी इन्द्रवेश : मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है वह वास्तविकता से उलटी है । देश के सारे अखबारों में दो जनवरी, को खबरें छपी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिये ।

स्वामी इन्द्रवेश. क्या दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी, 1981 को इन नेत्रहीन व्यक्तियों पर लाठी प्रहार किया था ?

अध्यक्ष महोदय : पढ़ने का हक नहीं है ।

स्वामी इन्द्रवेश : यह साल अन्तर्राष्ट्रीय विक्लांग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सारे देश में विक्लांगों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है जिस के आधार पर सारे देश में लोगों की पिटाई करके उन को विक्लांग बनाया जा रहा है ?

भागलपुर में भी ऐसा किया गया है । और जगहों पर भी लोगों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं । मंत्री महोदय कोई संख्या बताएंगें कि कितने विक्लांग वह इस साल में बनाएगें ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले बताया है कि यह सवाल ही नहीं उठता है । जो सवाल है वही गलत है ।

स्वामी इन्द्रवेश : मंत्री जी जो जानकारी दे रहे हैं यह देश के समाचारपत्रों में छपे समाचारों के विरुद्ध जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने उन पत्रों पर कोई मुकदमा चलाया है जिन्होंने ये समाचार छापे हैं कि यहां पर लाठी चार्ज हुआ है और इस ढंग से नब्बे लोग गिरफ्तार हुए है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अखबारों में समाचार छपने के दूसरे दिन ही पुलिस कमिशनर ने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था । वह भी छपा है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : यह मानवता का प्रश्न है । पिछले साल 16 मार्च को भी दृष्टिहीनों पर लाठी चार्ज हुआ था, उनको मारा पीटा गया था ।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करें ।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं विनम्र निवेदन के द्वारा मंत्री जी से आग्रह करने जा रहा हूं कि वह बतायें कि नव वर्ष का क्या यह एक तोफा था जो उन को दिया गया ? अन्तर्राष्ट्रीय विक्लांग वर्ष के पहले ही दिन दिल्ली पुलिस के जवानों ने तिलक मार्ग थाने के ठीक सामने दृष्टिहीनों को बड़ी बुरी तरह से पीटा था । यह चीज समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुई थी । इसी संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं । एक दृष्टिहीन को तो चार जवानों ने ऊपर उटा कर फेंक दिया था । उनकी पटिाई की थी, उन पर लाठी चार्ज किया था ।

मंत्री महोदय क्या हाउस को आश्वासन देंगे कि ऐसे शान्तिप्रिय प्रदर्शनों पर पुलिस के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्यवाई की जाती है खास तौर पर विक्लांगों पर, भविष्य में इस तरह का कोई रवैया अख्त्यार न किया जाए ? क्या ऐसे कोई निदेश वह पुलिस को देने जा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना: मैंने पहले ही बताया है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है । प्रोसेशन जरूर निकला था । अखबारों में जब यह समाचार छपा था तो उस के बाद पुलिस कमिश्नर ने इस का खंडन किया और वह भी अखबारों में छपा । मैं कहना चाहता हूं कि देश के अखबार तो ठीक हैं लेकिन विदेशों की जो ऐजेंसियां हमेशा हमें बदनाम करने में लगी रहती हैं उन में से भी एक ऐसी ऐजेंसी बी.बी.सी. जो कभी भी जब कोई घटना घटती है उस का जिक्र करती है, उस ने भी इस के बारे में अपने बुलेटिनों में कहा कि पुलिस ने इस समय बहुत रेस्ट्रेंट बरता है, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, उस के पास कोई बैटन, लाठी वगैरह नहीं थी ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां: मंत्री महोदय को क्या इस प्रकार की कोई लिखित सूचना मिली थी कि तीस जनवरी को नेत्रहीनों के प्रदर्शन की खबर सुन कर ताल कटोरा स्थित किसी राजनेता के मकान पर कुछ अर्द्ध सैनिक संगठनों से सम्बन्धित और कुछ राजनीतिक दलों से सम्बन्धित व्यक्तियों की बैठक हुई थी जिस में यह निश्चय किया गया था . . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इस से सम्बन्ध रखता है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जहां यह निर्णय लिया गया कि नेत्रहीनों के इस प्रदर्शन का लाभ उठाकर शांति-व्यवस्था भंग की जाए और ऐसी स्थिति पैदा की जाए जहां नेत्रहीनों को किसी तरह प्रदर्शन में हिंसा में उकसाया जा सके । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई सूचना मंत्री जी को 30 जनवरी को मिली थी ? **(व्यवधान)** मंत्री जी, जवाब देने के लिये तैयार हैं, सूचना गई है : । **(व्यवधान)** श्रीमन्, सूचना गई है, मंत्री जी से पूछिए । **(व्यवधान)** सूचना मिली है मंत्री जी को कि नेत्रहीनों के प्रदर्शन में शांति व्यवस्था भंग करने के लिये कुछ अर्द्ध-सैनिक और राजनैतिक दलों से संबंधित . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जवाब दे रहे हैं वह ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जी हां, दे रहे हैं ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : संभव हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो । (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : संभव हो सकता है, यह क्या जवाब है ? (व्यवधान)

You should not allow it to go on record.

संभव हो सकता है ? (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : संभव क्या चीज होती है ? (व्यवधान)

SHRI BIJU PATNAIK: He is the Home Minister; he is not a joker.... (*Interruptions*) He must withdraw it.

MR. SPEAKER: I have not allowed that.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह के ऊट-पटांग प्रश्न का जवाब इस तरह इस ढंग से मत दीजिये, आप होम मिनिस्टर हैं । संभव हो सकता है, यह नहीं कहना चाहिये ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह 2 तारीख का अखबार मेरे पास है । दो अखबार हम को मिले हैं एक टाइम्स आफ इंडिया और दूसरा इंडियन एक्सप्रैस । इन में देखिये फोटो छपी है । क्या यह फोटो भी किसी दूसरे लोगों ने खींचा है । इसमें स्पष्ट है कि डंडा चार्ज किया गया लाठी चार्ज किया गया । उन्हें फेंका जा रहा है, उस दिन के अखबार के मुताबिक ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो जवाब आ गया है, राम विलास जी ।

श्री राम विलास पासवान : नहीं. जवाब गलत है, ** बोलते हैं । (व्यवधान)

श्री एम० एम० ए० मलिक खां : अध्यक्ष महोदय, ** बोलते हैं, अनपार्लियामेंटरी है, इस को एक्सपंज कराइये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : You cannot interrupt.

श्री राम विलास पासवान : यह 2 तारीख का अखबार है जिस का इस में हवाला दिया है, जिस के सम्बन्ध में कहा है कि पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट है । इस में खबर है कि रिपोर्ट के मुताबिक जंतर-मंतर के नजदीक उन को बुरी तरह पीटा गया । पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उन लोगों ने हमला किया, अंधों ने हमला किया, तो इसलिए ऐसा किया गया ।

जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, वह सदन को गुमराह करने वाला है । एक तरफ सरकार कहती है कि विकलांग का यह करेंगे और दूसरी तरफ नव वर्ष के अवसर पर उपहार के रूप में उन पर लाठी चार्ज किया गया ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो अखबार में निकला है, इस फोटों की तरफ उन का ध्यान गया है क्या ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं ने पहले ही बताया, इस बात का खंडन किया गया है । 2 तारीख को पुलिस कमिश्नर ने प्रेस नोट दिया, उस में इन सब बातों का खंडन किया गया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखबार में लिखी हुई सारी बातें सही नहीं होतीं । (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : सही बात यह है कि पुलिस ने भी रेस्ट्रेन किया । (व्यवधान) पुलिस ने कहा कि आगे नहीं जा सकते,

**Expunged as ordered by the Chair.

फिर भी इस केस में जीमखाना तक उन लोगों को आने दिया गया । उस के बाद पुलिस ने बड़े रेस्ट्रेन से कहा कि 3, 4 आदमी जाकर मैमोरैंडम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें मैमोरैंडम नहीं देना है, सब को जाना है, मिलना है । इसलिए अरेस्ट करना पड़ा ।

तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर ले जाने के बाद उन्होंने तूफान किया, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया । (व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : मेरा पाइंट आफ़ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें पायंट आफ़ आर्डर नहीं है ।

(व्यवधान)

इसके लिये डायरेक्शन 115 है । आप उसके अंडर लिख कर भेजिये । उसके जरिये क्लैरिफ़िकेशन सीक की जा सकती है । (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : देश के सब अखबार झूठे हो गये, फ़ोटो भी झूठे हो गये । सिर्फ़ यह सच कहते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वेस्चन । डा० वसन्त कुमार पंडित ।

Industrial licences granted to Madhya Pradesh

+

*125. DR. VASANT KUMAR PANDIT:

SHRI SUBHASH YADAV:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) the number of industrial licences granted in Madhya Pradesh during the last three years and the industry to be set up under each licence;

(b) how many and which of the above are in private, joint and public sector;

(c) the number of industries that have actually been set up against them;

(d) the reasons why other industries have not been set up till now; and

(e) the action taken by the Centre and State Governments to expedite their setting-up?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (e). A statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) 33 industrial licences were granted for setting up of industries in Madhya Pradesh State during the years 1978 to 1980 under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. These relate to the item falling under Scheduled Industries like Metallurgical Industries, Electrical Equipment, Fertilizers, Chemicals, Textiles, Paper, Sugar, Food Products, Cement, Timber Products, Misc. Mech. and Engineering Industries etc.

(b) :—Sector	No. of IL Granted During 1978—80.
Private sector	29
State Industrial Dev. Corporations	3
Public Sector (Centre+State) .	1

(c) 7 Industrial Licences have been implemented.

(d) and (e). A letter of intent has validity period of one year while an industrial licence has validity period of two years. Under the Industries